<u>2021 का विधेयक संख्यांक 120.</u>

[दि टेक्सेसन लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2021

आय-कर संशोधन अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 है । संक्षिप्त नाम ।

अध्याय 2

आय-कर अधिनियम, 1961 का संशोधन

धारा 9 का संशोधन ।

2. आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण 5 में, तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-- 1961 का 43

"परंतु यह भी कि इस स्पष्टीकरण में अंतर्विष्ट कोई बात, 28 मई, 2012 से पूर्व, भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी या अस्तित्व में किसी शेयर या हित के अंतरण के परिणामस्वरूप, भारत में अवस्थित किसी आस्ति या किसी पूंजी आस्ति के अंतरण के माध्यम से या उससे उदभूत या हुई किसी आय के संबंध में, निम्नलिखित को लागू नहीं होगी,–

(i) धारा 143, धारा 144, धारा 147 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन किए जाने वाले किसी निर्धारण या पुनर्निधारण को ; या

(ii) निर्धारण में वृद्धि करने के लिए पारित किए जाने वाले या पहले से ही किए गए किसी प्रतिदाय को कम करने के लिए या धारा 154 के अधीन निर्धारिती के दायित्व में अन्यथा वृद्धि करने के किसी आदेश को ; या

(iii) धारा 201 की उपधारा (1) के अधीन किसी निर्धारिती को व्यतिक्रमी व्यक्ति समझे जाने के लिए पारित किए जाने वाले किसी आदेश को :

परंतु यह भी कि जहां 28 मई, 2012 से पूर्व, भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी या अस्तित्व में किसी शेयर या हित के अंतरण के परिणामस्वरूप, भारत में अवस्थित किसी आस्ति या किसी पूंजी आस्ति के अंतरण के माध्यम से या उससे उदभूत या हुई किसी आय के संबंध में,–

(i) धारा 143, धारा 144, धारा 147 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन कोई निर्धारण या पुनर्निधारण किया गया है ; या

(ii) धारा 154 के अधीन निर्धारण में वृद्धि करने या पहले ही किए गए प्रतिदाय को कम करने या निर्धारिती के दायित्व में अन्यथा वृद्धि करने के लिए कोई आदेश पारित किया गया है ; या

(iii) धारा 201 की उपधारा (1) के अधीन किसी निर्धारिती को व्यतिक्रमी व्यक्ति समझे जाने के लिए कोई आदेश पारित किया गया है ; या

(iv) अध्याय 21 या धारा 221 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने का कोई आदेश पारित किया गया है,

और व्यक्ति, जिसके मामले में, यथास्थिति, ऐसा निर्धारण या पुनर्निधारण किया गया है या आदेश पारित किया गया है, विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है, तब ऐसे निर्धारण या पुनर्निधारण या आदेश, जहां तक वह उक्त आय से संबंधित है, के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह, यथास्थिति, कभी भी नहीं किया गया है या पारित नहीं किया गया है :

परंतु यह भी कि जब पांचवे परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्ति को, विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के परिणामस्वरूप, कोई रकम प्रतिदेय हो जाती है तब ऐसी रकम का उसे प्रतिदाय किया जाएगा, किंतु धारा 244क के अधीन उस रकम पर कोई ब्याज संदत्त नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण–पांचवे पंरतुक और छठे परंतुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट शर्तें नीचे दिए गए अनुसार होंगी :--

(i) जब ऐसे व्यक्ति ने ऐसी आय के संबंध में किसी आदेश के विरुद्ध किसी अपीलीय मंच के समक्ष कोई अपील या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई रिट याचिका फाइल की है, वह या तो उसे वापस लेगा या ऐसी अपील या रिट याचिका को वापस लेने के लिए यथाविहित प्ररूप और रीति में एक वचनबंध प्रस्तुत करेगा ;

(ii) जब ऐसे व्यक्ति ने माध्यस्थम, सुलह या मध्यकता के लिए कोई कार्यवाही आरंभ की है या उसके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या भारत द्वारा किसी अन्य देश या भारत से बाहर किसी राज्यक्षेत्र के साथ, चाहे विनिधान के संरक्षण के लिए या अन्यथा, कोई करार किया है, तो वह या तो उसे वापस लेगा या ऐसी कार्यवाहियों या सूचना में, दावे को, यदि कोई हो, यथाविहित प्ररूप और रीति में वापस लेने के लिए एक वचनबंध प्रस्तुत करेगा ;

(iii) ऐसा व्यक्ति, ऐसी आय के संबंध में, किसी उपचार या किसी दावे की वांछा या उसका अनुसरण करने के अपने अधिकार का, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, जो उसे किसी साम्या में, चाहे विनिधान के संरक्षण के लिए या अन्यथा, भारत द्वारा, किसी अन्य देश या भारत से बाहर किसी राज्यक्षेत्र के साथ, किए गए किसी करार के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, अन्यथा उपलब्ध हो सकेगा, त्यजन करने के लिए, यथाविहित प्ररूप और रीति में, एक वचनबंध प्रस्तुत करेगा ; और

(iv) ऐसी अन्य शर्तें, जो विहित की जाएं ।"।

अध्याय 3

वित्त अधिनियम, 2012 का संशोधन

2012 का 23 **3.** वित्त अधिनियम, 2012 की धारा 119 में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-- धारा 119 का संशोधन ।

"परंतु इस धारा का उस व्यक्ति को लागू होना समाप्त हो जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है, अर्थात् :--

(i) जब उक्त व्यक्ति ने ऐसी आय के संबंध में किसी आदेश के विरुद्ध किसी अपीलीय मंच के समक्ष कोई अपील या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई रिट याचिका फाइल की है, वह या तो उसे वापस लेगा या ऐसी अपील या रिट याचिका को वापस लेने के लिए यथाविहित प्ररूप और रीति में एक वचनबंध प्रस्तुत करेगा ;

(ii) जब उक्त व्यक्ति ने माध्यस्थम, सुलह या मध्यकता के

लिए कोई कार्यवाही आरंभ की है या उसके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या भारत द्वारा किसी अन्य देश या भारत से बाहर किसी राज्यक्षेत्र के साथ, चाहे विनिधान के संरक्षण के लिए या अन्यथा, कोई करार किया है, तो वह या तो उसे वापस लेगा या ऐसी कार्यवाहियों या सूचना में, दावे को, यदि कोई हो, यथाविहित प्ररूप और रीति में वापस लेने के लिए एक वचनबंध प्रस्तुत करेगा ;

(iii) उक्त व्यक्ति, ऐसी आय के संबंध में, किसी उपचार या किसी दावे की वांछा या उसका अनुसरण करने के अपने अधिकार का, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, जो उसे किसी साम्या में, चाहे विनिधान के संरक्षण के लिए या अन्यथा, भारत द्वारा, किसी अन्य देश या भारत से बाहर किसी राज्यक्षेत्र के साथ, किए गए किसी करार के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, अन्यथा उपलब्ध हो सकेगा, त्यजन करने के लिए, यथाविहित प्ररूप और रीति में, एक f प्रस्तुत करेगा ; और

(iv) ऐसी अन्य शर्तें, जो विहित की जाएं :

परंतु यह और कि यदि आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन पहले परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्ति को उसके द्वारा उक्त शर्तों को पूरा करने के परिणामस्वरूप कोई रकम प्रतिदेय हो जाती है, तो ऐसी रकम का उसे प्रतिदाय किया जाएगा, किंतु आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 244क के अधीन ऐसी रकम पर कोई ब्याज संदत्त नहीं किया जाएगा ।"। 1961 का 43

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

किसी विदेशी कंपनी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "भारतीय आस्तियों का अप्रत्यक्ष अंतरण" कहा गया है) के शेयरों के अंतरण के माध्यम से भारत में अवस्थित आस्तियों के अंतरण से होने वाले अभिलाभों की कराधेयता का मुद्दा देर तक चलने वाली मुकद्दमेबाजी की विषय-वस्तु रहा है । अंततः, उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2012 में यह निर्णय लिया कि भारतीय आस्तियों के अप्रत्यक्ष अंतरण से होने वाले अभिलाभ अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन कराधेय नहीं है ।

2. चूंकि, उच्चतम न्यायालय का निर्णय विधायी आशय के साथ असंगत था, आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों को, यह स्पष्ट करने के लिए कि किसी विदेशी कंपनी के शेयरों की बिक्री से होने वाला अभिलाभ भारत में कराधेय है, यदि ऐसे शेयर, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, भारत में अवस्थित आस्तियों से अपना मूल्य सारवान रूप से प्राप्त करते हैं, वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा, भूतलक्षी प्रभाव से, संशोधित किया गया था । वित्त अधिनियम, 2012, भारतीय आस्तियों के अप्रत्यक्ष अंतरण से संबंधित मामलों के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन मांग के विधिमान्यकरण का भी उपबंध करता है ।

3. इसके अनुसरण में, सत्रह मामलों में आय-कर की मांग की गई थी । उच्च न्यायालय द्वारा अनुदत्त स्थगन के कारण दो मामलों में निर्धारण लंबित है । उक्त सत्रह मामलों में से, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड के साथ द्विपक्षीय विनिधान संरक्षण संधि के अधीन चार मामलों में माध्यस्थम् का आवलंब लिया गया है । दो मामलों में माध्यस्थम् अधिकरण ने करदाताओं के पक्ष में और आय-कर विभाग के विरुद्ध निर्णय किया है ।

4. वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा किए गए उक्त स्पष्टीकारक संशोधनों की पणधारियों द्वारा मुख्यतः इन संशोधनों को भूतलक्षी रूप से प्रभावी किए जाने के लिए आलोचना की गई है । यह तर्क दिया गया है कि ऐसे भूतलक्षी संशोधन कर-निश्चितता के सिद्धांत के विरुद्ध हैं और एक आकर्षक गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं । पिछले कुछ वर्षों में वित्तीय और अवसंरचना सेक्टर में प्रमुख सुधार आरंभ किए गए हैं, जिन्होंने देश में विनिधान के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार किया है । तथापि, यह भूतलक्षी स्पष्टीकारक संशोधन और कुछ मामलों में सृजित परिणामी मांग संभावित विनिधानकर्ताओं के बीच एक खिंचाव का बिंदु रहा है । देश आज एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है, जहां समय की मांग कोविड-19 महामारी के पश्चात् अर्थव्यवस्था को पुनः सही करना समय की मांग है और विदेशी विनिधान की तीव्र आर्थिक वृद्धि और रोजगार के संवर्द्धन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है ।

5. विधेयक, आय-कर अधिनियम, 1961 का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किन्हीं भारतीय आस्तियों के अप्रत्यक्ष अंतरण, यदि अंतरण 28 मई, 2012 (वह तारीख, जिसको वित्त विधेयक, 2012 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई) से पूर्व किया गया था, के लिए, उक्त भूतलक्षी संशोधन के आधार पर, कोई कर-मांग नहीं की जाएगी । यह उपबंध करने का और प्रस्ताव है कि 28 मई, 2012 से पूर्व भारतीय आस्तियों के अप्रत्यक्ष अंतरण के लिए की गई मांग को, विनिर्दिष्ट शर्तों, जैसे लंबित मुकद्दमे को वापस लेना या वापस लेने के लिए वचनबंध

प्रस्तुत करना और इस प्रभाव का वचनबंध प्रस्तुत करना कि लागत, नुकसान, ब्याज आदि के लिए कोई दावा फाइल नहीं किया जाएगा, के पूरा करने पर, अकृत किया जाएगा । इन मामलों में उन पर किसी ब्याज के बिना संदत्त रकम का प्रतिदाय करने का भी प्रस्ताव है । विधेयक, वित्त अधिनियम, 2012 का संशोधन करने का भी प्रस्ताव करता है, जिससे वित्त अधिनियम, 2012 की धारा 119 के अधीन मांग आदि का विधिमान्यकरण, विनिर्दिष्ट शर्तों, जैसे लंबित मुकद्दमे को वापस लेना या वापस लेने के लिए वचनबंध प्रस्तुत करना और इस प्रभाव का वचनबंध प्रस्तुत करना कि लागत, नुकसान, ब्याज आदि के लिए कोई दावा फाइल नहीं किया जाएगा, के पूरा हो जाने पर अकृत हो जाएगा ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ; **निर्मला सीतारामन**

4 अगस्त, 2021

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक में भारत की संचित निधि से, आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का, कोई व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 2, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 9 का संशोधन करने के लिए है जो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी गई आय से संबंधित है । प्रस्तावित संशोधन, उक्त धारा में, एक स्पष्टीकरण के साथ, उसकी उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण 5 में चौथा परंतुक, पांचवा परंतुक और छठा परंतुक अंत:स्थापित करने के लिए है, जो बोर्ड को, (i) वह प्ररूप और रीति, जिसमें वचनबंध प्रस्तुत किया जाएगा ; और (ii) पांचवें परंतुक और छठें परंतुक के प्रयोजनों के लिए पूरा की जाने वाली अन्य शर्तों का उपबंध करने के लिए, नियम बनाने हेतु सशक्त करता है ।

2. विधेयक का खंड 3, वित्त अधिनियम, 2012 की धारा 119 की संशोधन करने के लिए है, जो आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन मांग के विधिमान्यकरण से संबंधित है । प्रस्तावित संशोधन, उक्त धारा में पहला परंतुक और दूसरा परंतुक अंत:स्थापित करने के लिए है । पहला परंतुक बोर्ड को, (i) वह प्ररूप और रीति, जिसमें वचनबंध प्रस्तुत किया जाएगा ; और (ii) पूरा की जाने वाली अन्य शर्तों का उपबंध करने के लिए, नियम बनाने हेतु सशक्त करता है ।

3. वे विषय, जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और ब्यौरे के विषय हैं और इसलिए, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

□□ध

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 □□ अधिनियम संख्यांक 43)

9. (1) निम्नलिखित आय भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी जाएगी– □□रत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुई समझी गई आय झ।

(i) भारत में किसी कारबारी सम्पर्क के द्वारा या उससे, भारत में किसी सम्पत्ति के द्वारा या उससे या भारत में किसी आस्ति या आय के स्रोत के द्वारा या उससे किसी धन के द्वारा या उससे या भारत में स्थित पूंजी आस्ति के अंतरण के द्वारा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सब आय ।

*　　*　　*　　*　　*　　*

स्पष्टीकरण 5–शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी किसी आस्ति या पूंजी आस्ति के बारे में, जो भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी या सत्ता में किसी शेयर या हित के रूप में है, यह समझा जाएगा और सदैव से यह समझा जाएगा कि वह भारत में स्थित है, यदि उस शेयर या हित का अपना मूल्य प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: सारवान् रूप से भारत में अवस्थित आस्तियों से व्युत्पन्न होता है :

परन्तु इस स्पष्टीकरण में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसी आस्ति या पूंजी आस्ति को लागू नहीं होगी, जो किसी अनिवासी द्वारा 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 2015 से पहले प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 115कघ के स्पष्टीकरण के खंड (क) में यथानिर्दिष्ट किसी विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: विनिधान के रूप में धारित की गई है :

परन्तु यह और कि इस स्पष्टीकरण में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसी आस्ति या पूंजी आस्ति को लागू नहीं होगी, जो किसी अनिवासी द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
1992 का 15 अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता) विनियम, 2014 के अधीन प्रवर्ग-I या प्रवर्ग-II विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: विनिधान के रूप में धारित की गई है ।

*　　*　　*　　*　　*　　*

वित्त अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्यांक 23) से उद्धरण

*　　*　　*　　*　　*　　*

कतिपय मामलों में आय-कर अधिनियम 1961 , के अधीन मांगों आदि का विधिमान्यकरण ।

119. किसी न्यायालय या अधिकरण या किसी प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी के शेयर या शेयरों के अंतरण के परिणामस्वरूप या भारत के बाहर किसी करार के परिणामस्वरूप या अन्यथा, भारत में स्थित किसी पूंजी आस्ति के अंतरण के
1943 का 61 माध्यम से या उससे प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली आय के संबंध में, आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन भेजी गईं या भेजे जाने के लिए तात्पर्यित सभी सूचनाएं, या उद्गृहीत किए गए ,मांगे गए, निर्धारित, अधिरोपित, संगृहीत या वसूल किए गए अथवा उद्गृहीत, मांग, निर्धारित, अधिरोपित, संगृहीत या वसूल किए जाने के लिए तात्पर्यित करों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे विधिमान्या रूप से किए गए हैं औरऩ कर की सूचना, उसका उद्गृहण, मांग निर्धारण, अधिरोपण, संग्रहण या वसूली विधिमान्य होगी और सदैव विधिमान्य रही समझी जाएगी और इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि वह कर से प्रभार्य नहीं थी या ऐसे किसी आधार पर जिसके

अन्तर्गत यह भी है कि वह ऐसे संव्यवहारों से जो भारत के बाहर किए गए हैं, उद्भूत पूंजी अभिलाभों के संबंध में कर है और तदनुसार इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व उद्गृहित, किए गए, मांगे गए, निर्धारित, अधिरोपित या जमा किए गए तथा ऐसे प्रारंभ से पूर्व किसी अवधि के लिए प्रभार्य, किंतु ऐसे प्रारंभ से पूर्व संगृहीत या वसूल न किए गए किसी कर को आय-कर अधिनियम, 1961 के इस अधिनियम द्वारा संशोधित किए गएऔर उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार संग्रहीत या वसूल और विनियोजित किया जा सकेगा और इस संबंध में किसी भी प्रकार के किसी प्रतिदाय का कोई दायित्व या बाध्यता नहीं होगी ।

*　　*　　*　　*　　*　　*

संविधान के अनुच्छेद 117 के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश

[श्रीमती निर्मला सीतारामन, वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री का महासचिव, लोक सभा को पत्र सं0 142/38-टीपीएल, तारीख 4.8.2021] राष्ट्रपति, कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 की विषयवस्तु से अवगत हो जाने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 117 के खंड (1) और खंड (3) के अधीन कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2021 को लोक सभा में पुर:स्थापित करने की और लोक सभा द्वारा उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।